लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, कुल प्लाट एरिया 8.44 एकड़ (3.42 हेक्टेयर), खसरा नं. 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39/1, 39/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53 एवं 54 द्वारा ग्राम सोण्ड्रा, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित एमएस बिलेट्स – 2,00,000 टन प्रति वर्ष एवं टीएमटी बार्स (हॉट रिचार्जिंग) क्षमता 1,90,000 टन प्रति वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 19.05.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, कुल प्लाट एरिया 8.44 एकड़ (3.42 हेक्टेयर), खसरा नं. 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39/1, 39/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53 एवं 54 द्वारा ग्राम सोण्ड्रा, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित एमएस बिलेट्स – 2,00,000 टन प्रति वर्ष एवं टीएमटी बार्स (हॉट रिचार्जिंग) क्षमता 1,90,000 टन प्रति वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई कराने बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया था। नव भारत तथा टाईम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 19 मई 2018 दिन शनिवार को समय दोपहर 12:00 बजे से परियोजना स्थल सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में सी.एस.आई.डी.सी. फेज–2, रायपुर के कार्यालय के प्रांगण में नियत की गई थी। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई थी।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 19 मई 2018 को अपर कलेक्टर, जिला–रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री प्रकाश कुमार रबड़े, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, जनप्रतिनिधी एवं गांवों के किसान आदि लगभग सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:15 बजे प्रारंभ की गई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक – 01 अनुसार है।
3. श्री प्रकाश कुमार रबड़े, वैज्ञानिक ने प्रस्तावित प्ररियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।
4. अपर कलेक्टर महोदय श्री क्यू.ए. खान ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. श्रीकांत ब्यौहारे (मेसर्स, एनॉकान लेबोरेटरी प्रा. लिमिटेड, नागपुर) परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने लोक सुनवाई के संबंध में नवभारत तथा टाईम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्रों में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 की जानकारी दी। श्रीकांत ब्यौहारे ने बताया कि मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एंड पॉवर प्रा. लिमिटेड, ग्राम सोंडरा, तहसील एवं जिला रायपुर द्वारा एमएस बिलेट्स – 2,00,000 टन प्रति वर्ष एवं टीएमटी बार्स (हॉट रिचार्जिंग) क्षमता 1,90,000 टन प्रति वर्ष हेतु उत्पादन का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 4,775 लाख रूपए होगी। परियोजना की पहचान अंतर्गत परियोजना विद्युत ऊर्जा पर आधारित होने तथा ईंधन के रूप में कोयला या फर्नेस आईल का उपयोग प्रस्तावित नहीं होने की जानकारी दी गई। परियोजना स्थल, जलवायु की स्थिति, स्थल का प्रकार, महत्वपूर्ण संसाधन आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं विद्युत की आवश्यकता एवं स्त्रोत, मानव श्रम की आवश्यकता, अग्निशमन सुविधायें, आधारभूत पर्यावरणीय अध्ययन, वायु गुणवत्ता की स्थिति, ध्वनि स्तर, जल गुणवत्ता, मृदा गुणवत्ता, 10 किलोमीटर परिधि के संबंध में जानकारी, जैविक पर्यावरण, सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण, 10 किलोमीटर अध्ययन क्षेत्र की परिधि में शिक्षा सुविधाओं के विषय में विवरण, अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का तुल्नात्मक विश्लेषण, पर्यावरण प्रभाव का पूर्वानुमान तथा उनको कम करने की उपाय योजना, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, पर्यावरण निरीक्षण कार्यक्रम, जोखिम मूल्यांकन एवं आपदा प्रबंधन योजना, प्रस्तावित परियोजना से लाभ, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना एवं व्यवस्थापन एवं निष्कर्ष के संबंध में जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री एम.आर. यदु (सरपंच, सिलतरा) ने कहा कि
यह लक्ष्मीकृपा एक ग्रुप है। लक्ष्मीकृपा ग्रुप के श्री राजेश भईया से जब मैं प्रथम बार मिला था एवं उनके समक्ष अपनी समस्या रखा था, उनके द्वारा समस्याओं को सहर्ष स्वीकार किया गया तथा उनके द्वारा प्राथमिक शाला, सिलतरा की वाईट वाशिंग कराई गई व दीवारों पर बच्चों को समझाने हेतु चित्र बनवाये गये। 4–5 वर्ष से बच्चों के परीक्षा परिणाम भी अच्छे आये है। हमारे द्वारा सुख, सुरक्षा, पी.एफ. आदि की अपेक्षा है, गांवों के प्रतिनिधियों द्वारा जो समस्या बताई जाये उसका निदान करने की अपेक्षा करता हूँ। मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी मिले, पर्यावरणीय नियमो एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जाये, पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में अधिक उद्योग लगे हुये है, अतः साफ–सफाई एवं पर्यावरण का ध्यान रखा जावे। अतः इस उद्योग की सफलता की मैं कामना करता हूँ।

2. श्री संतोष कुमार साहू, (ग्राम–सोंडरा) ने कहा कि
आसपास के गांवों में सी.एस.आर. की 50 प्रतिशत की राशि ग्राम सोण्ड्रा को मिलना चाहिये, क्योकिं प्लांट ग्राम सोण्ड्रा में स्थापित हो रहा है, यह मैं अपेक्षा रखता हूँ।

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। वृक्षारोपण के कार्य हेतु मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जायसवाल निको की एस.एम.एस. इकाई में कार्यरत् हूँ। भविष्य में प्लांट के आगे बढ़ने की कामना करता हूँ।

3. श्री धनेश यादव, (जनपद उपाध्यक्ष, धरसींवा) ने लोकसुनवाई में आये सभी लोगों का अभिवादन करते हुये कहा कि
पूर्व में पर्यावरण विभाग द्वारा जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय अथवा शहर में की जाती थी, प्रभावित गांव, ग्रामवासी एवं सरपंच की मंशा होती है कि पढ़े–लिखे लोगों को रोजगार मिले। सी.एस.आर. के तहत् आसपास के क्षेत्र एवं गांव का विकास हो, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराया जावे जिससे आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित होने से रोका जा सके तथा उद्योग लगाने की ढेर सारी शुभकामनायें तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

4. श्रीमती मीरा सारंग, (उप सरपंच, सिलतरा) ने कहा कि
हमारे गांव में बेरोजगार बहुत लोग हैं, उसको रोजगार मिलना चाहिए एवं जल की समस्या है जल मिलना चाहिए। खासकर महिलाओं में जल के लिये लड़ाई–झगड़े बहुत हो रहे हैं। साफ–सफाई का ध्यान देना आवश्यक है। खासकर महिलाओं को भी काम दिया जाना चाहिये।

5. श्री रंजन मिश्रा ने कहा कि
यहां बहूत प्रदूषण है, खासकर सिलतरा क्षेत्र में जाने के लिये कहने पर लोग डरते है। पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जावे, पेड़ो की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। वृक्षारोपण का विकास किया जावे।

6. श्री शिव कुमार साहू (सिलतरा) ने कहा कि
सभी कंपनी वादा करती है, लेकिन 10 प्रतिशत भी वादा नहीं निभाते है। कंपनी में शोषण एवं परेशानी की सुनवाई नहीं होती है। 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12–12 घंटे ड्यूटी करवाते है तथा मजदूरी भी कम देते है, 260 रूपये या 300 रूपये उचित नहीं है। सी.एस.आर. का कार्य कितना किया गया है बताया जाना चाहिये। क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाता है। इन बातों का ध्यान रख जावे। वादा करके भूला न जावे।

7. श्री नरेश दास ने कहा कि
जितने भी उद्योग है, बाहर के लोग ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे है। 100 में 5 प्रतिशत उद्योग के काम करने वाले लोग है अन्य ठेकेदारी में है। ठेकेदारी प्रथा बंद करे, बेरोजगारों को रोजगार मिले।

8. श्री माधव देवांगन (सिलतरा) ने कहा कि
ये कंपनी खुलना चाहिये।

9. श्रीमती हेमलता साहू (सोण्ड्रा) ने कहा कि
15 साल से उद्योग है। यहां बहुत प्रदूषण है। लोगों को रोजगार मिले। पर्यावरण का विकास हो एवं पेयजल की समस्या पर ध्यान दिया जाये।

10. श्रीमती मीना बाई ने कहा कि
फैक्ट्री से प्रदूषण फैल रहा है, किसी को काम नहीं है। नौकरी करने वाले 10 सालों से काम कर रहे है, परमानेंट नहीं है। बाहरी लोगों को रेगुलर नौकरी दी जाती है।

11. श्रीमती दीक्षित ने कहा कि
यहां के लोगों को रोजगार मिले तथा पर्यावरण का विकास हो।

12. श्री गौरीशंकर ठाकुर ने कहा कि
बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिये।

13. श्री अजय मिश्रा ने कहा कि
आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। कंपनी के भविष्य के लिये कामना करते है।

14. श्री आशीष आचार्य (सिलतरा) ने कहा कि
सुरक्षा का ध्यान रख जावे। जान है तो जहान है। दूर से आने वाले लोगों के लिये आवागमन की सुविधा उद्योग प्रबंधन द्वारा दी जावे।

15. श्री सुरेश कन्नौजे ने कहा कि
प्लांट बैठे, सबकी इच्छा है।

16. लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के बीच एक व्यक्ति ने अपने नाम की जानकारी नहीं दी एवं उन्होने कहा कि
लोग दिन पे दिन बीमार हो रहे है। प्रदूषण बढ़ रहा है, आप लोग प्रदूषण के विरूद्ध क्या सोच रहे है। कंपनी की तरक्की से लोगों की तरक्की है। हमारे गांव की तरक्की हो, यही हमारी कामना है।

17. श्री बांके बिहारी अग्रवाल, परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि
स्थानीय स्किल्ड एवं अनस्किल्ड बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जायेगा। वृक्षारोपण हमारा शौक है। हमारे द्वारा सिलतरा स्कूल के आजू–बाजू में वृक्षारोपण किया जा रहा है। फैक्ट्री लगाने से पहले भी उसे हरा–भरा बनाने जा रहे है। मैं प्रदूषण को समझता हूँ। मैं भी उद्योग में 12 से 24 घंटे रहूंगा। ई.आई.ए. का पालन किया जावेगा। प्रदूषण के नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखा जावेगा।

अंत में अपर कलेक्टर महोदय द्वारा जन सामान्य को सुझाव एवं आपत्ति होने पर मौखिक एवं लिखित सूचना देने हेतु पुनः कहा गया। यह लोकसुनवाई दोपहर लगभग 12:15 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 01:05 बजे समाप्त हुई। लोकसुनवाई के पूर्व, दौरान एवं लोकसुनवाई के पश्चात् लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये। संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(क्यू.ए. खान)
अपर कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ.ग.)